अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2020 (GCMS 2020/00010) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.11.2019 से सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

जांच रिपोर्ट दिनांक 03.05.19 पत्रांक उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर से सम्बनिधत सूचनायें।

1. जाचं रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 7 में अंकित है कि "मोनिका देवी द्वारा दिनांक 11.04.2000 को उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत निरस्तीरकण वसीयत दस्तावेज पर तत्कालीन उपपंजीयक श्री हजारीलाल व कैशियर लाभ सिंह ने उक्त दस्तावेज को निस्पादित कर समय पर नही लिखा है कि मोनिका देवी का नाम गंगादेवी के स्थान पर लिपीकीय भूल के करण से लिखा गया है"
2. उक्त तथ्यों के सम्बन्ध मे सत्यता के बारे में सूचना कि दस्तावेज दिनांक 11.04.2000 पर लाभ सिंह व तत्कालीन उपपंजीयक ने यह क्यों अकिंत नही है कि मोनिका देवी का नाम गंगादेवी के स्थान पर सहवन से लिखा गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जाचं रिपोर्ट की चरण संख्या 8 मे यह तथ्य अकिंत कि "पंजीयन अधिनियम में दस्तावेज को निष्पादक व एन्टाइटिल व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत कर निष्पादित करवाया जाता है।

उपपंजीयक द्वारा जांच कर्मकारो द्वारा कम्पेयर किया जाता है जो नही किया गया ।

इस सम्बन्ध में पंजीयन अधिनियम की सूचना व धारा की सूचना जिसमें यह तथ्य अंकित है व इस तथ्य की सत्यता की सूचना।

जाचं रिपोर्ट मे दूसरे पैरा चरण संख्या 8 मे यह अंकित है कि

"पंजीबद्ध करने के पश्चात अलग से प्रमाण पत्र पंजीबद्ध करने का जारी करना होता है जो उपलब्ध रिकार्ड से जारी किया जाना नही पाया गया है अतः विधि की उल्लघंना है"

इस तथ्य की शुद्धता के बारे मे सूचना व अकिंत तथ्यो की नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति

जाचं रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 9 मे अकिंत तथ्य कि

"श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई को तथाकथित शब्द लिपिकिय भूल के सुधार हेतु जानकारी होने के उपरांत भी सहवन शब्द का प्रयोग किया है"

सहवन शब्द का उल्लेख कर निर्णय पारित कर दिया है"

वाछिंत सूचना : सहवन शब्द का (प्रयोग) उपयोग श्रीमती सुमित्रा देवी द्वारा जिस अधिनियम की जिस धारा में अकिंत है उस अधिनियम व नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

"जबकि श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ही उपलब्ध करवाने का अधिकारी है"

वाछिंत सूचना : उपरोक्त तथ्य के बारे में सूचना व सुमित्रा देवी द्वारा जिस आधार नियम की भंगिमा सहवन शब्द लिखकर की गयी हे उस नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जाचं रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 3 के चरण सं. 7 में यह तथ्य कि "दिनांक 11.04.2000 को श्रीमती सुमित्रा देवी उपपंजीयक पद पर आसीन ही नही थी। दिनांक 26.06.2018 पत्रांक 696 में लिपीकीय भूल व सहवन शब्द का उल्लेख करना कानून की अवमानना है।

वाछिंत सूचना : "उपरोक्त तथ्यो के बारे में सत्यता की सूचना व नियम व अधिनियम की प्रमाणित प्रति"

पृष्ठ 3 जाचं रिपोर्ट बिन्दु सं. 7

पंजीयन एवं स्टाम्प (अधिनियम) नियमों में सहवन शब्द का कही भी उल्लेख नहीं है व विधि का प्रावधान नही है

इस तथ्य की सत्यता के बारे मे व नियम के बारे में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति

पृष्ठ 3 बिन्दु 7 पर "सहवन शब्द का उल्लेख श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई स्वयं कानून का तथाकथित आधार विधि के प्रावधान के विपरीत विधि विरूद्ध सहवन शब्द प्रस्तुत किया है

उपरोक्त तथ्यों की सहयता के बारे में सूचना व तथ्यों की नियमो की प्रमाणित प्रति।

"अतः पत्रांक क्रमांक 696 दिनांक 26.06.18 में अकिंत तथ्यो का प्रत्याहित किया जाना न्यायहित में उचित है"

इस बात की सत्यता के बारे मे जाचं रिपोर्ट के सन्दर्भ में सूचना व नियम की प्रति।

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 31 दिनांक 20.01.2020 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान्जी द्वारा श्री राधेश्याम गोयल, आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 30.10.2019 भिजवाया गया है। उक्त आवेदन में चाही गई सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सादुलशहर से संबंधित है। अतः मूल प्रार्थना पत्र कार्यालय पत्रांक दिनांक 787–89 दिनांक 29.11.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सादुलशहर को भिजवाते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया था।

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2019 का सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से है जबकि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील पेश की है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने दिनांक 29.11.2019 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाया है और इसकी सूचना प्रार्थी को भी पत्रांक 787–89 दिनांक 29.11.2019 से दी है। इसलिए अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकरी सादुलशहर से ही वांछित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए थी। प्रार्थी को यदि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र हैं

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ्. तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर